

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या-212-44/08-1136(2)

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

वर्तमान पदस्थापन के जिला में लगभग पाँच साल तक

पदस्थापित रहने के कारण निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ-6 में अंकित

जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम	चिकित्सा पदा का नाम	गृह जिला	पदस्थापित	नव पदस्थापित जिला
1	डा० राजीव रंजन वर्मा	Jamui	मुंगेर	भागलपुर
2	डा० योगेन्द्र कुमार	Bhojpur	मुंगेर	रोहतास
3	डा० अनिल कुमार सिंह	Begusarai	मुंगेर	समस्तीपुर
4	डा० राज किशोर प्रसाद	Dhanbad	मुंगेर	नवादा
5	डा० मंजूला रानी मंडल	Lakhisarai	मुंगेर	शेखपुरा
6	डा० ओम प्रकाश सिंह	Begusarai	मुंगेर	अररिया
7	डा० राजेन्द्र प्रसाद	Lakhisarai	मुंगेर	नालन्दा
8	डा० संजीव कुमार चौधरी	Darbhanga	मुंगेर	मधुबनी
9	डा० मोईज अख्तर अंसारी	Singhbhum	मुंगेर	किशनगंज
10	डा० वीरेन्द्र कुमार मिश्रा	Rohtash	मुंगेर	कैमूर
11	डा० अरुण चन्द्र राय	Devghar	मुंगेर	अररिया
12	डा० बिनोद कुमार सिंहा	Nalanda	मुंगेर	नवादा
13	डा० बिन्दु कुमारी	Bhagalpur	मुंगेर	जमुई
14	डा० संजीव कुमार सिन्हा	Begusarai	मुंगेर	खगड़िया
15	डा० रामप्रवेश प्रसाद	Nalanda	मुंगेर	शेखपुरा
16	डा० प्रकाश चन्द्र सिन्हा	Bhagalpur	मुंगेर	किशनगंज
17	डा० रोहित कुमार सिंह	Begusarai	मुंगेर	पूर्णिया
18	डा० दिवाकर सिंह	Bhagalpur	मुंगेर	किशनगंज
19	डा० प्रमोद कु० सिंह	Bhagalpur	मुंगेर	किशनगंज
20	डा० सुबोध प्रसाद सिंह	Lakhisarai	मुंगेर	शेखपुरा

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर





चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।

4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।
5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।
6. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार) 30/6  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी- 44/2008-1136(2)

पटना, दिनांक 30-6-08

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री,, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव